



Neutral Citation No. - 2026:AHC:13486

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1591/2026

आवेदक: रानी किन्नर

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

प्रतिवादी

आवेदक के वकील: कल्पना सिंह

प्रतिवादी के वकील: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची संशोधित की गई है।
2. आवेदक की वकील श्रीमती कल्पना सिंह और राज्य के विधि अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक अपराध संख्या 145/2025, धारा 191(2), 191(3), 190, 103(1) बी.एन.एस., पुलिस थाना - मोदीनगर, जिला - गाजियाबाद, में सुनवाई के दौरान जमानत की मांग करता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक की वकील ने कहा कि समान स्थिति में सह-आरोपी मोहम्मद गुलजार को इस न्यायालय की समन्वित पीठ द्वारा पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है (25.6.2025, आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 21669/2025)। आवेदक 12.9.2025 से जेल में बंद है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। चूँकि आवेदक की भूमिका सह-आरोपी के समान है, जिसे पहले ही जमानत मिली है, अतः वह समानता (Parity) के आधार पर जमानत का हकदार है।
5. राज्य के विधि अधिकारी ने जमानत के कड़े विरोध किया। तथापि, सह-आरोपी के समानता और आवेदक के अपराधिक इतिहास की तथ्यात्मक बातें अस्वीकार नहीं की गईं।
6. मामले के तथ्य, पक्षकारों की दलीलें, अभिलेख, तथा सुप्रीम कोर्ट के पारस राम विशनोई बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, MANU/SCOR/22410/2021, इस न्यायालय के नन्हा पुत्र नभन खाँ बनाम राज्य उत्तर प्रदेश, 1993 Cri.L.J. 938, और सुप्रीम कोर्ट के सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य, 2022 SCC OnLine SC 825 के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, तथा मामले की मेरिट पर कोई टिप्पणी किए बिना, न्यायालय का मानना है कि आवेदक ने समानता (Parity) के आधार पर जमानत का पर्याप्त आधार प्रस्तुत किया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
7. आवेदक - रानी किन्नर, जो उक्त मामले में संलग्न है, को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह व्यक्तिगत बांड और दो समान राशि के जमानती न्यायालय की संतुष्टि अनुसार प्रस्तुत करें, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- i) आवेदक सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी।
- ii) आवेदक अभियोजन गवाहों पर दबाव/भयभीत नहीं करेगी।
- iii) आवेदक नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगी।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन इस न्यायालय में जमानत रद्द करने के लिए आवेदन कर सकती है।

9. बांड स्वीकार करने से पूर्व आवेदक और जमानतियों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण की जांच न्यायालय द्वारा की जाए।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने के दौरान की गई टिप्पणियाँ न्यायाधीश को गवाहों की गवाही पर स्वतंत्र राय बनाने में किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

20 जनवरी, 2026

विकास वर्मा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।